न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 28 सन 2018

अनवान :–

1. बुटासिह 2 भगवानसिह पुत्रगण जगुराम जाति कम्बोज साकिन गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायलान

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र जगुराम जाति कम्बोज साकिन गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ नि0 बोदला तहसील करनाल जिला करनाल हाल ग्राम फरल(चण्डीगढ वालों की ढाणी तहसील ढाड जिला कैथल (हरियाणा)
2. तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री विजयसिह अधिवक्ता सायल
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल1

निर्णय दिनांक :– 19/03/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि जगुराम पुत्र खानचन्द जाति कम्बोज साकिन गोगामेडी तहसील नोहर में निवास करता था जगुराम के सायलान व गैरसायल न0 1 तीन लडके पिता व पुत्र आपस मे एक सयुक्त हिन्दु खानदान बनाते थे मिताक्षरा हिन्दु विधि से शासित थे जगुराम पुत्र खानचन्द वृद्व होने के कारण गैरसायल न0 1 रामचन्द्र सयुक्त हिन्दु कर्ताखान था परिवार का मुखियाथा तथा उक्त हिन्दु खानदान का मुखिया होने के कारण परिवार की सयुक्त आय से समस्त परिवार के कार्य निपटाता था। सायला न0 1 ,2 नाबालिग सदस्य थे तथा गैरसायल न0 1 ही कर्ता धर्ता था तथा गैरसायल न0 1 व गैरसायल न0 1 ,2 के पिता ने सयुक्त तौर से रोही मौज चक 5 जीजीएम के खाता संख 116/83 के प0न0 408/459(89) के किला न0 1/0.2270 ,2/0.2280 ,3/0.2280 ,4/. 2280 ,5/0.2270 ,6/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0. 2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2530 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0. 2530 ,25/0.2530 प0न0 0 मु0न0 167/8 किला न0 0 कुल 6.3250हैक में से 250 हिस्सा भूमि खरीद की गई थी जो निलामी में दिनांक 03.07.1962 को खरीद की गई थी जो सयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई भूमि है चुकि रामचन्द्र परिवार में सबसे बडा था व सायलान नाबालिग थे इसलिये फर्द निलामी में स्वय का नाम दर्ज करवा दिया और राजस्व रिकार्ड में भी गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज हो गई सयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई भूमि सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें सायलान एव गैरसायल न0 1 का बराबर का हक हिस्सा है क्याकि सयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई भूमि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 220, 221 के अनुसार सयुक्त परिवार की पैतृक भूमि मानी जावेगी।

वादग्रस्त भूमि में ही सायल न0 1 बुटासिह पक्के मकानात बने हुए है जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है जिसमें बिजली पानी का कनेक्शन है तथा सायल न0 1 के दक्षिणी दिशा में सायल न0 2 का पक्का मकान है तथा मवेशियों के लिये छप्पर /बाडा बनाया हुआ है सायल न0 1 बुटासिह के पश्चिम में गेरसायल न0 1 के पुत्र ने पक्का मकान बना रखा है जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है गैरसायल न0 1 निलामी में भूमि लेने के दो – तीन साल साथ रहा बाद में अलग निवास करने लग गया तथा वाद भूमि वर्तमान में गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जिससे सायलान के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायलान अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वाद भूमि को सायलान एव गैरसायल न0 1 तीनों काश्त करते आ रहे है किन्तु गैरसायल न0 1 अपने पुत्र के बहकावें में आकर सायलान को बेदखल करने पर आमाद है

एवं अन्यत्र रहन बेय करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो सायलान को अपूणीय क्षति होगी इसलिये सायलान गैरसायलान न0 1 को पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह वाद भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख्या 116/83 की कुल 6.3250हैक में से 250 हिस्सा जो गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है कि रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की रोही मौज चक 5 जीजीएम के खाता संख 116/83 के प0न0 408/459(89) के किला न0 1/0.2270 ,2/0.2280 ,3/0.2280 ,4/.2280 ,5/0.2270 ,6/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2530 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0.2530 ,25/0.2530 प0न0 0 मु0न0 167/8 किला न0 0 कुल 6.3250हैक में से 250 हिस्सा भूमि गैरसायल न0 1 की खरीदशुद्वा भूमि है जो निलामी में खरीद की गई थी अर्थात स्वय पैदा करदा भूमि है जिसमें सायलान का कोई हक हिस्सा नही है भूमि निलामी में खरीद करने के बाद समस्त किश्त गैरसायल न0 1 के जमा खजाना करवाई गई है सायलान एवं गैरसायल न0 1 दोनो अलग अलग परिवार है एवं अलग अलग ही निवास करते आ रहे है सायलान अलग से अपने नाम 90 हिस्सा दर्ज भूमि में निवास कर रहे है गैरसायल न0 1 किसी के भी बहकावें में नही है वह अपने हक हिस्सा भूमि पर काबिज है जिसे रहन बेय नही करना चाहता है सायलान ने मिथ्या कथन प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

गैरसायल न0 1 ने निलामी में खरीद करने के बाद समस्त राशि स्वय की मेहनत से जमा खजाना करवाई गई है स्वय के द्वारा ही खातेदार प्राप्त की गई है जिस पर सायलान का कोई हक हिस्सा नही है ना ही किसी प्रकार से पानें के अधिकारी है सायलान ने मिथ्या कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल न0 1 का जबाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया गैरसायल न0 2, 3 फोरमल पक्षकार है जबाब की आवश्यकता नही उभयपक्षों सायलान व गैरसायल न0 1 की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की जगुराम पुत्र खानचन्द जाति कम्बोज साकिन गोगामेडी तहसील नोहर में निवास करता था जगुराम के सायलान व गैरसायल न0 1 तीन लडके पिता व पुत्र आपस मे एक सयुक्त हिन्दु खानदान बनाते थे मिताक्षरा हिन्दु विधि से शासित थे जगुराम पुत्र खानचन्द वृद्व होने के कारण गैरसायल न0 1 रामचन्द्र सयुक्त हिन्दु कर्ताखान था परिवार का मुखियाथा तथा उक्त हिन्दु खानदान का मुखिया होने के कारण परिवार की सयुक्त आय से समस्त परिवार के कार्य निपटाता था। सायला न0 1 ,2 नाबालिग सदस्य थे तथा गैरसायल न0 1 ही कर्ता धर्ता था तथा गैरसायल न0 1 व गैरसायल न0 1 ,2 के पिता ने सयुक्त तौर से रोही मौज चक 5 जीजीएम के खाता संख 116/83 के प0न0 408/459(89) के किला न0 1/0.2270 ,2/0.2280 ,3/0.2280 ,4/.2280 ,5/0.2270 ,6/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2530 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0.2530 ,25/0.2530 प0न0 0 मु0न0 167/8 किला न0 0 कुल 6.3250हैक में से 250 हिस्सा भूमि खरीद की गई थी जो निलामी में दिनांक 03.07.1962 को खरीद की गई थी जो सयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई भूमि है चुकि रामचन्द्र परिवार में सबसे बडा था व सायलान नाबालिग थे इसलिये फर्द निलामी में स्वय का नाम दर्ज करवा दिया और राजस्व रिकार्ड में भी गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज हो गई सयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई भूमि सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें सायलान एव गैरसायल न0 1 का बराबर का हक हिस्सा है क्याकि सयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई भूमि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 220, 221 के अनुसार सयुक्त परिवार की पैतृक भूमि मानी जावेगी।

वादग्रस्त भूमि में ही सायल न0 1 बुटासिह पक्के मकानात बने हुए है जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है जिसमें बिजली पानी का कनेक्शन है तथा सायल न0 1 के दक्षिणी दिशा में सायल न0 2 का पक्का मकान है तथा मवेशियों के लिये छप्पर /बाडा

बनाया हुआ है सायल न0 1 बुटासिह के पश्चिम में गेरसायल न0 1 के पुत्र ने पक्का मकान बना रखा है जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है गैरसायल न0 1 निलामी में भूमि लेने के दो – तीन साल साथ रहा बाद में अलग निवास करने लग गया तथा वाद भूमि वर्तमान में गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जिससे सायलान के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायलान अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वाद भूमि को सायलान एव गैरसायल न0 1 तीनों काश्त करते आ रहे है किन्तु गैरसायल न0 1 अपने पुत्र के बहकावें में आकर सायलान को बेदखल करने पर आमाद है एवं अन्यत्र रहन बेय करने पर उतारू है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो सायलान को अपूणीय क्षति होगी इसलिये सायलान गैरसायलान न0 1 को पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह वाद भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौज चक 5 जीजीएम के खाता संख 116/83 के प0न0 408/459(89) के किला न0 1/0.2270 ,2/0.2280 ,3/0.2280 ,4/.2280 ,5/0.2270 ,6/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2530 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0.2530 ,25/0.2530 प0न0 0 मु0न0 167/8 किला न0 0 कुल 6.3250हैक में से 250 हिस्सा भूमि गैरसायल न0 1 की खरीदशुद्वा भूमि है जो निलामी में खरीद की गई थी अर्थात स्वय पैदा करदा भूमि है जिसमें सायलान का कोई हक हिस्सा नही है भूमि निलामी में खरीद करने के बाद समस्त किश्त गैरसायल न0 1 के जमा खजाना करवाई गई है सायलान एवं गैरसायल न0 1 दोनो अलग अलग परिवार है एवं अलग अलग ही निवास करते आ रहे है सायलान अलग से अपने नाम 90 हिस्सा दर्ज भूमि में निवास कर रहे है गैरसायल न0 1 किसी के भी बहकावें में नही है वह अपने हक हिस्सा भूमि पर काबिज है जिसे रहन बेय नही करना चाहता है सायलान ने मिथ्या कथन प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

गैरसायल न0 1 ने निलामी में खरीद करने के बाद समस्त राशि स्वय की मेहनत से जमा खजाना करवाई गई है स्वय के द्वारा ही खातेदार प्राप्त की गई है जिस पर सायलान का कोई हक हिस्सा नही है ना ही किसी प्रकार से पानें के अधिकारी है सायलान ने मिथ्या कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में सायलान किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है या नही एवं वाद भूमि पैतृक सम्पति है या नही प्रार्थना पत्र में तो यह तय किया जाना है कि सुविधा का सन्तुलन , प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष मे है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड रोही मौजा चक 5 जीजीएम के खाता संख 116/83 के प0न0 408/459(89) के किला न0 1/0.2270 ,2/0.2280 ,3/0.2280 ,4/.2280 ,5/0.2270 ,6/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2530 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0.2530 ,25/0.2530 प0न0 0 मु0न0 167/8 किला न0 0 कुल 6.3250हैक में से 250 हिस्सा भूमि गैरसायल न0 1 अर्थात गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार के तौर पर दर्ज है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल न0 1 के पक्ष में समान रूप से पाया जाता है।

वाद भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज का राज्य सरकार से निलामी दिनांक 03.07.1962 को खरीद की गई है जो प्रस्तुत फर्द निलामी से साबित है वाद भूमि निलामी दिनांक 03.07.1962 को खरीद करना सायलान एवं गैरसायल न0 1 दोनो के द्वारा स्वीकार किया गया है।

मतदाता सूचि वर्ष 1971 में बूटासिह की उम्र 25 वर्ष है एवं मतदाता सूचि वर्ष 1980 मे बुटासिह की उम्र 34 वर्ष अंकित है अर्थात निलामी के समय बूटासिह की उम्र 16 वर्ष की रही होगी अर्थात सायल न0 1 नाबालिग था। मतदाता सूचियों के अनुसार सायलान का कथन की वह नाबालिग थे सही प्रतित होता है।

सायलान एवं गैरसायल न0 1 एक ही परिवार के सदस्य है अर्थात दोनो पक्ष जगुराम के वारिस है जिसमें गैरसायल न0 1 सबसे बडा है गैरसायल न0 1 के द्वारा निलामी में दिनांक 03.07.1962 को खरीद की गई भूमि सयुक्त परिवार की आय से खरीद

की गई पैतृक सम्पति है या नही यह तथ्या तो वाद में साक्ष्य सबुतों /तनकीयात के आधार पर तय होना है।

सायलान के द्वारा सायलान एवं गैरसायल न0 1 के मध्य हुए परिवार समझौता की प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार वाद भूमि सयुक्त तौर से निलामी में खरीद की जाना अंकित है किन्तु यह तथ्य वाद में तय होगा जब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित प्रतित होती है

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो भूमि को स्थानान्तरण करने में पूर्णत्या सक्षम है प्रकरण की प्रकृति से बेचान/स्थानान्तरण की सम्भावना प्रतित होती है। सायलान के हकों के निर्धारण से पूर्ण यदि भूमि का बेचान/स्थानान्तरण किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायलान के पक्ष में पाया जाता है

इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायलान के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 28.03.2018 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म किया जाता है यदि उक्त भूमि में खाला रास्ता है तो यह अस्थाई निषेधाज्ञा खाला रास्ता पर लागू नही होगी। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)